तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/6/18	"राष्ट्रव्यापी लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार-2018" पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अन्तर्गत प्रस्तुत [illegible] आवेदक [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर [illegible] ([illegible])

राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार– 2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 120/2017/वाद पत्र	तारीख दायर 03.10.2017	तारीख फैसला 25.06.2018

उनवान

1– दीपक पिता प्रेमचन्द मीणा नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
2– सुमित्रा पत्नि राजेश मीणा नि0 प्रतापपुरा तहसील सांवर जिला अजमेर – वादीगण

बनाम

1– शंकर पिता मांगू भील निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा
2– तहसीलदार, शाहपुरा – प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री अक्षयराज रेबारी : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0ए0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– ग्राम शिवपुरा प0ह0 प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा मे वादीगण के नाम खाता संख्या 82 मे वादी नं0 1 दीपक मीणा के नाम आ0न0 1083/150 रकबा 0.03 है0, व वादी नं0 2 सुमित्रा के नाम आ0न0 1088/150 रकबा 0.03 है0 कुल किता 02 रकबा 0.06 है0 दर्ज रेकार्ड है। वादीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष पत्थरगढ़ी का प्रकरण पेश किया गया जिसके प्रकरण संख्या 87 /2011 होकर निर्णय दिनांक 17.06.2011 को किया गया जिसकी पालनां मे भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा 24.05.2017 को पत्थरगढ़ी मौका पर्चा तैयार किया गया। मौका पर्चा अनुसार वादीगण की कुलिया भूमि 0.06 है0 पर प्रतिवादी नं0 1 शंकर पिता मांगु भील का कब्जा होना बताया है। प्रतिवादी नं0 1 को मना करने पर फौजदारी पर आमादा हुआ तथा जबरन ताकत के बल पर ट्रेक्टर से हंका दिया। अतः आ0न0 1083/150 रकबा 0.03 है0, आ0न0 1088/150 रकबा 0.03 है0 कुल किता 02 रकबा 0.06 है0 पर प्रतिवादी नं0 1 ने नाजायज एवं अवैध अतिक्रमण कर रखा है बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को सिपुर्द किया जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.11.2017 को प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण साक्ष्य वादी के नियत किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2018 अटल सेवा केन्द्र प्रतापपुरा पर दिनांक 25.06.2018 को वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। वादी दीपक का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। बहस अभिभाषक वादीगण सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजात के आधार पर वाद

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम शिवपुरा प0ह0 प्रतापपुरा संवत 2070–73 खाता संख्या 82 अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा दिनांक 24.05.2017 अनुसार वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी नं0 1 का कब्जा पाया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टि0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम शिवपुरा प0ह0 प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा मे स्थित जमाबन्दी संवत 2070 से 73 खाता संख्या 82 मे वादी नं0 1 दीपक मीणा के नाम आ0न0 1083/150 रकबा 0.03 है0, व वादी नं0 2 सुमित्रा के नाम आ0न0 1088/150 रकबा 0.03 है0 कुल किता 02 रकबा 0.06 है0 वादीगण के नाम पर दर्ज होकर प्रतिवादी नं0 1 शंकर पिता मांगू भील नि0 शिवपुरा प0ह0 प्रतापुपरा तहसील शाहपुरा ने कब्जा कर रखा है। विधिवत कब्जा वादीगण को प्रतिवादी नं0 1 शंकर भील से दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिलाये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2018 अटल सेवा केन्द्र प्रतापपुरा पर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री के0आर0 यादव, आर0ए0एस0

1– दीपक पिता प्रेमचन्द मीणा नि0 शाहपुरा तह0 शाहपुरा
2– सुमित्रा पत्नि राजेश मीणा नि0 प्रतापपुरा तहसील सांवर जिला अजमेर

– वादीगण

बनाम

1– शंकर पिता मांगू भील निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा
2– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टि0ए0
मुकदमा नम्बर 120 सन् 2017

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 आर0टि0ए0 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम शिवपुरा प0ह0 प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा मे स्थित जमाबन्दी संवत 2070 से 73 खाता संख्या 82 मे वादी नं0 1 दीपक मीणा के नाम आ0न0 1083/150 रकबा 0.03 है0, व वादी नं0 2 सुमित्रा के नाम आ0न0 1088/150 रकबा 0.03 है0 कुल किता 02 रकबा 0.06 है0 वादीगण के नाम पर दर्ज होकर प्रतिवादी नं0 1 शंकर पिता मांगू भील नि0 शिवपुरा प0ह0 प्रतापुपरा तहसील शाहपुरा ने कब्जा कर रखा है। विधिवत कब्जा वादीगण को प्रतिवादी नं0 1 शंकर भील से दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिलाये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें मे सूद शहर फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 25 माह 06 सन् 2018 से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा
जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner